

साहबगर बनाम सरकार  
प्रकरण संख्या 576/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.3.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार आदि से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम साहबगर पुत्र हजारीगर है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा बरमसर के खाता सं. 355 के ख.नं. 16, 16/2, 163 की 9.282 है., खाता सं. 356 के ख.नं. 1570/169, 167 की 7.398 है. व खाता सं. 601 के ख.नं. 1121/163 की 1.138 है. तथा मलकासर के खाता सं. 170 के ख.नं. 128 की 3.592 है. में दर्ज वादी का नाम साहबराम पुत्र हजारीगर के स्थान पर साहबगर पुत्र हजारीगर दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 24.3.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कमिश्नर एड सुपखण्ड अधिकारी खजूरपुर</p>	

